न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 193/2010

दायर दिनांक–04–10–2010

1 प्रियंका पुत्री रतीराम जाति मेघवंशी निवासी टौंक छिलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2 नरेन्द्र पुत्र रतीराम जाति मेघवंशी निवासी टौंक छिलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3 विरेन्द्र पुत्र रतीराम जाति मेघवंशी निवासी टौंक छिलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4 कपिल पुत्र रतीराम जाति मेघवंशी निवासी टौंक छिलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– **वादीगण**

बनाम

1. रतीराम पुत्र भानाराम जाति मेघवंशी निवासी टौंक छिलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. तहसीलदार कम–उप पंजियक, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–**प्रतिवादीगण**

वकील वादी :– श्री सुरेश कुमार सीगड़
वकील प्रति॰ नं. :– एक पक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ॰धारा 88, 136 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 02–08–2021

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि वादीगण, प्रतिवादी नम्बर 01 रतीराम के जायन्दा पुत्री एवं पुत्रान है, जो नाबालिग है, जो अपने कानूनी हक की रक्षा हेतु अपनी माता श्रीमति विनोद देवी के मार्फत दावा पेश कर रहे है। वादीगण के पिता रतीराम ने वादीगण की माता जो कि प्रतिवादी रतीराम की पत्नी है, को घर से निकाल रखा है तथा वादीगण के कानूनी हक की कृषि भूमि को गैर कानूनी तरीके से तथा बिना आवश्यकता के नाजायज तौर तरीके अपनाकर पैत्रिक कृषि भूमि को बेचने को तुरन्त आमादा है, जिसके बाबत वादीगण अपने हको की रक्षा हेतु यह दावा जरिये संरक्षिका माता (Next Friend) के पेश कर रहे है।

जमीन खसरा नम्बर 815 रकबा 2.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 818 रकबा 1.57 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.26 हैक्टर वाके ग्राम टौक छिलरी की सरहद में स्थित है, जो वादीगण की पैत्रिक जमीन है, जिसमे वादीगण का हक हकूक, कब्जा काश्त कानूनन तथ्यात्मक रूप से है।

जमीन खसरा नम्बर 815, 818 ग्राम टौक छिलरी वादीगण के दादा भानाराम उर्फ मानाराम पुत्र चन्दाराम के हक हकूक की रही है, जो वादीगण की पैत्रिक जमीन है, जिसमें वादीगण का जन्म लेते ही कानूनन हक हकूक बन जाता है इस तरह वादीगण उक्त खसरा नम्बर 815, 818 ग्राम टौंक छिलरी के खातेदार काश्तकार है, जिनका इस जमीन में कानूनन व तथ्यात्मक रूप से हक हकूक [illegible] अपने पिता प्रतिवादी नम्बर 01 के साथ खातेदार काश्त का है, जिसके बाबत अपने खातेदार होने की घोषणा करवाने के हकदार है तथा अपने पिता प्रतिवादी नम्बर 01 के साथ राजस्व रिकार्ड में [illegible] है, इसलिये रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु दुरुस्ती रिकार्ड का दावा भी पेश है।

उक्त जमीन का राजस्व रिकार्ड वादीगण के पिता प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से [illegible], इससे पूर्व वादीगण के दादा व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता भानाराम उर्फ मानाराम के नाम दर्ज था इस प्रकार यह जमीन वादीगण की पैतृक जमीन है, जिसमें वादीगण का कानूनन हक हकूक है, जिसके वादीगण कानूनन खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:32:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट -ट्रेक) नवलगढ़

काश्तकार है। प्रतिवादी नम्बर 1 रतीराम की नियत खराब हो गई है तथा वह शराबी है तथा सामाजिक किसी भी जिम्मेदारी का वहन नहीं करता है तथा अपनी पत्नी को शराब पीकर मारपीट करता रहा है तथा दहेज के लिये परेशान करता रहा है, जिसके बाबत प्रतिवादी नम्बर 1 के खिलाफ धारा 498–ए, 106 आई.पी.सी. का मामला न्यायालय में चल रहा है। प्रतिवादी नम्बर 01 वादीगण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है तथा बिना किसी आवश्यकता के उक्त पैत्रिक जमीन को खुर्द–बुर्द करने को आमादा है तथा इस जमीन को बेचने की फिराक में है तथा अब उक्त जमीन के बाबत रजिस्ट्री करवाना चाहता है तथा आज ही रजिस्ट्री करवाने आया हुआ है, जबकि प्रतिवादी नम्बर 01 को उक्त पैतृक जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं है तथा जमीन बेचने का प्रतिवादी नम्बर 01 को कोई अधिकारी भी नहीं है क्योकि जमीन पैत्रिक है, जमीन में वादीगण का हक हकूक है, जमीन के वादीगण खातेदार काश्तकार है, इसलिये प्रतिवादी नम्बर 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना निहायत आवश्यक है अन्यथा वादीगण बर्बाद हो जावेगे, वादीगण अपने हक से वंचित हो जावेंगें, वादीगण नाबालिक है, जिनका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं रहेगा, वादीगण के साथ अन्याय हो जावेगी, वादीगण की सख्त हकतलफी होगी। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जमीन खसरा नम्बर 815, 818 रकबा क्रमशः 2.69, 1.57 हैक्टर वाके ग्राम टौक छिलरी को विक्रय नहीं करें, विक्रय–पत्र तस्दीक नहीं करवाये, जमीन पर किसी अजनबी को अथवा अन्य को काबिज नहीं करवाये आदि से पाबन्द किया जावे। उक्त जमीन में वादीगण का प्रतिवादी नम्बर 01 के साथ खातेदार काश्तकार होने की घोषणा की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम प्रतिवादी नम्बर 01 के साथ दर्ज किया जावे। इस जमीन में चारो वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 का (पांचो का) बराबर–बराबर हक हकूक है, जिसकी घोषण करके रिकार्ड भी इसी मुताबिक बनवाया जावे। प्रतिवादी नम्बर 01 वादीगण के हक की उक्त समस्त जमीन बेचने को आमादा है, जिसे जमीन बेचने को अधिकार नहीं है, लेकिन चूंकि जमीन का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 01 अकेले के नाम दर्ज ह, जिसका प्रतिवादी नम्बर 01 दुरूपयोग करके वादीगण के हक की जमीन बेचना चाहता है, इसलिये उसे रोका जाना तुरन्त आवश्यक है।

प्रतिवादी नम्बर 01 प्रतिवादी नम्बर 02 से उक्त जमीन का विक्रय–पत्र आज तस्दीक करवाना चाहता है, जिसे भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन आवश्यक है कि वह खसरा नम्बर 815, 818 ग्राम टौक छिलरी की जमीन के अन्तरण बाबत कोई दस्तावेज तस्दीक नहीं करे, इस कारण प्रतिवादी नम्बर 02 को पक्षकार बनाया है, जो कि लोक सेवक है, जिसके विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस कानूनन आवश्यक है, लेकिन प्रतिवादी नम्बर 02 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस देकर दावा किया जावेगा तो वादीगण का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा तथा वादीगण अपने हक से वंचित हो जावेगें व बर्बाद हो जावेगें, इस परिस्थिति में वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से तुरन्त पेश किया जाना न्याय हेतु आवश्यक है, इसलिये अलग से धारा 80(2)सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश है कि दावा बिना धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के पेश करने की ईजाजत दी जावे। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी नम्बर 01 ने उक्त जमीन के विक्रय की डीड दिनांक 04.10.2010 को तस्दीक करवाने की धमकी दिनांक 01.10.2010 को न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वादीगण की माता को दी, के रोज पैदा हुआ।

वाद वादीगण पेश कर अनुतोष चाहा है कि दावा डिग्री फरमाया जावे तथा घोषणा इस आशय की जावे कि वादीगण प्रतिवादी नम्बर 01 के साथ जमीन [illegible] 81[illegible] 2.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 818 रकबा 1.57 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.26 हैक्टर वाके ग्राम टौं[illegible]लरी [illegible] खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में घोषणा के अनुसार वादीगण का नाम [illegible] 01 [illegible] दर्ज कर रिकार्ड में इन्द्राज इसी मुताबिक करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थ[illegible] [illegible]या जावे कि जमीन खसरा नम्बर 815, 818 ग्राम टौंक छिलरी को प्रतिवादी नम्बर 01 विक्रय नहीं करें तथा [illegible]तिवादी नम्बर 02 इस जमीन के अन्तरण बाबत कोई दस्तावेज तस्दीक नहीं करें। अन्य सिद्धि जो वादीगण के हक में हो चाही जाने से रह गई हो, वह भी दिलाई जावे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:32:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट ([illegible]) [illegible]

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी प्रर्याप्त रूप से होने के उपरान्त भी इनके ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्ररकण में प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 02 की एक तरफा कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही रह जाती है तथा विवाद्यको पर निर्णय किये जाने की आवश्कता नही है। शहादत वादी में वादी विनोद देवी पत्नी रतीराम जाति मेघवंशी तथा गवाह ओमप्रकाश पुत्र लेखाराम जाति बलाई निवासी रहनावा के चीफ के शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी द्वारा ओर शहादत पेश नही करना जाहिर करने पर शहादत वादी बंद की गई।

जवाब देही एवं साक्ष्य पेश होने को बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 815 रकबा 2.69 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 818 रकबा 1.57 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.26 हैक्टर ग्राम टोंकछीलरी में स्थित भूमि को वादीगण के पैतृक भूमि बताया है साथ ही यह भी जाहिर किया गया है कि उक्त भूमि में वादी के दादा भानाराम उर्फ मालाराम पुत्र चन्द्राराम की खातेदारी काश्त की भूमि रही है जिसमें वादीगण का जन्म से ही कानून हक हकूक बनता है। वादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में वाद पत्र के साथ राजस्व रिकार्ड की नकल जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 प्रदर्श– 1 एवं नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2 पेश किये है। शेष दस्तावेज पासबुक की फोटो कॉपी प्रस्तुत की है। उक्त तमाम दस्तावेजात में खातेदार के कॉलम संख्या 4 में रतीराम पुत्र मालाराम जाति मेघवंशी निवासी अंकित है। वादीगण के कथनानुसार उक्त भूमि वादीगण के दादा भानाराम उर्फ मालाराम होना जाहिर नही होता है। लिहाजा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को वादीगण दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पैतृक प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इसलिए वाद वादीगण की भूमि पैतृक साबित नही होने खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(फास्ट–ट्रैक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:32:04 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 88, 136 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा सं0:– 193 / 2010 (**प्रियंका बनाम रतीराम आदि**)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं **कार्यपालक** मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील **प्रतिवादीगण मनजानिब** मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **02.08.2021** निर्णय अनुसार वाद वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

जिन.........–............ मुबलिग............–.............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **02** माह **08** सन **2021** को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:32:04 IST
Reason: SelfAttested